

मूल वाद म डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान
सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी
बनाम

पेमाराम पुत्र पकाराम, पकली बेवा पकाराम
शांति, नारंगी पुत्रीया पकाराम कौम मेगवंशी

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 0 अधि 0 1955 धारा 53
मुकदमा नम्बर :- 75/16

निर्णय

दिनांक :- 15/06/2016

वादी सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी व प्रतिवादी पेमाराम पुत्र पकाराम, पकली बेवा पकाराम शांति, नारंगी पुत्रीया पकाराम कौम मेगवंशी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15/06/16 को पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार के नाम ग्राम गांधी पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 555/1 रकबा 1.43 है. किस्म चा.सो. 0.18, जा.सो. 1.25 लगान 3.60, 8.75 व ख.न 556/1 रकबा 0.32 है. किस्म चा.सो. 0.09 जा.सो. 0.23 लगान 1.61 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.75 है. कुल लगान 15.76 एवं पेमाराम पुत्र पकाराम, पकली बेवा पकाराम, शांति, नारंगी पुत्रीया पकाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार के नाम ग्राम गांधी पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 555 रकबा 1.42 है. किस्म चा.सो. 0.17, जा.सो. 1.25 लगान 3.40, 8.75 व ख.न 556 रकबा 0.32 है. किस्म जा.सो. 0.32 लगान 2.24 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.74 कुल लगान 14.39 एवं सवाराम पुत्र हीराराम, पेमाराम पुत्र पकाराम, पकली बेवा पकाराम, शांति, नारंगी पुत्रीया पकाराम, सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार रहन सविया पुत्र हीरा का हिस्सा एसबीबीजे शाखा देसूरी मुर्तहीन के नाम ग्राम गांधी पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 557 रकबा 0.01 है. किस्म गै.मु. बेरा व ख.न 558 रकबा 0.05 है. किस्म गै.मु. सडा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.06 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में, तरमीम हों तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर अपने-अपने हिस्सानुसार रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 15/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

क्रमांक/शिविर/2016/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक-15/06/2016

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- देसूरी
जिलास :- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0
उनवान
सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी
बनाम

पेमाराम पुत्र पकाराम,पकली बेवा पकाराम
शांति,नारंगी पुत्रीया पकाराम कौम मेगवंशी

राजस्व वाद बाबत घोषणा, मु0न0 :रा0वा0 स0: 75 / 16
दावा बाबत -बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू-..... व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम गांधी पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 555/1 रकबा 1.43 है. किस्म चा.सो. 0.18,जा.सो. 1.25 लगान 3.60,8.75 व ख.न 556/1 रकबा 0.32 है. किस्म चा.सो 0.09 जा.सो. 0.23 लगान 1.61 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.75 है. कुल लगान 15.76 एवं पेमाराम पुत्र पकाराम,पकली बेवा पकाराम,शांति,नारंगी पुत्रीयां पकाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार के नाम ग्राम गांधी पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 555 रकबा 1.42 है. किस्म चा.सो. 0.17,जा.सो. 1.25 लगान 3.40,8.75 व ख.न 556 रकबा 0.32 है. किस्म जा.सो. 0.32 लगान 2.24 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.74 कुल लगान 14.39 एवं सवाराम पुत्र हीराराम,पेमाराम पुत्र पकाराम,पकली बेवा पकाराम,शांति,नारंगी पुत्रीयां पकाराम ,सवाराम पुत्र हीराराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार रहन सविया पुत्र हीरा का हिस्सा एसबीबीजे शाखा देसूरी मुर्तहीन के नाम ग्राम गांधी पटवार वृत्त सुमेर तहसील देसूरी के ख.न 557 रकबा 0.01 है. किस्म गै.मु. बेरा व ख.न 558 रकबा 0.05 है. किस्म गै.मु. सडा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.06 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर अपने-अपने हिस्सानुसार रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर सुमेर के आज तारीख **15/06/2016** को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(जिला-पाली)
देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत	महनताना वकील
महनताना वकील	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	फीस कमीष्जर
फीस कमीष्जर	बाबत ईजराय हुक्मनामा
बाबत ईजराय हुक्मनामा	मुत्फरिक

मिजान:-

मिजान:-

नोट:-

- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी देसूरी
(जिला-पाली)
देसूरी (पाली)